न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंजुम ताहिर सम्मा, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 06 / 2023

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. मिथल जिंदल पुत्र नरेन्द्र कुमार जिंदल जाति अग्रवाल निवासी हाई स्कूल रोड़, अग्रवाल पंचायत भवन के पास, बाड़मेर (मैसर्स मिथिल सेल्स ऐजन्सी, बाड़मेर का मालिक)
2. प्रदीप जोशी डायरेक्टर एण्ड नोमिनी परसन ऑफ मैसर्स गेरेनियम एरोमेटिक प्रा. लि., 29, न्यू पॉवर हाउस के पीछे, हेवी इन्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर
3. मैसर्स गेरेनियम एरोमेटिक प्रा. लि., 29, न्यू पॉवर हाउस के पीछे, हेवी इन्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रमेश मंगल, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.12.2023

1- प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स मिथिल सेल्स ऐजन्सी** पर निरीक्षण दिनांक **17.01.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **पान मसाला ब्राण्ड जाफरी (2.5 ग्राम)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 8 पैकेट **पान मसाला ब्राण्ड जाफरी पाउच पैक(2.5** Gram X 32 X 6 Total 1920 Gram) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1821** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खाद्य पदार्थ **पान मसाला ब्राण्ड जाफरी (2.5 ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **पान मसाला ब्राण्ड जाफरी (2.5 ग्राम)** का नमूना जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **30.01.2023** में उक्त नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2- अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण को प्रत्येक स्तर पर सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अपने प्रतिरक्षण में कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है।

3- हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **30.01.2023** में उक्त नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता दौरान सुनवाई उपस्थित हुए तथा प्रकट किया कि अप्रार्थीगण सं0 1 की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई हैं तथा न ही मानव स्वास्थ्य के प्रति नुकसानदायक पाया गया हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उक्त नमूना मिथ्याछाप पाये जाने के लिये प्रथम अपराध मानते हुए नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्य 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **मिथ्याछाप** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4- अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5- आदेश आज दिनांक 27.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर